मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे! 3
- 8 डॉक्टरों के विरोध के बावजूद नर्स सुषमा पुनः प्रसूति वार्ड में
- 39 आदिवासियों को महाराष्ट्र पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मार गिराया, गढ़चिरौली की अंतर्विरोधी दास्तान 4
- क्या भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का संबंध प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट से है ? 5
- खट्टर ने निकाला अपने गठ्ठर का जुलूस 8
- खुद भाजपाई पार्षदों ने खोली 'विकास' की पोल

वर्ष 31 | अंक -18 | फ़रीदाबाद | 29 अप्रैल-5 मई 2018 | फ़ोन : - 9999595632 | 2 ₹

ज़िला अदालत : न्याय संकट में है, जजों की रिश्वतखोरी के खिलाफ़ बुलंद हुई आवाज़

फ़रीदाबाद (म.मो.) जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध महाभियोग का मामला देश भर में गूंज रहा है वहीं ज़िला अदालतों में फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी एक आवाज बुलंद हुई है। अब से पहले तो आम लोग तथा वकील साहेबान केवल आपसी बातचीत में ही जजों की रिश्वतखोरी की चर्चा दबी जबान से करते थे परन्तु अब स्थानीय अदालत परिसर में बाकायदा इश्तिहार लगा कर इस रिश्वतखोरी को खुल कर बयां किया जा रहा है। दिनांक 24 अप्रैल को इस संवाददाता ने ऐसा ही एक इश्तिहार कोर्ट परिसर अदालतों की दीवारों पर लगा देखा। सुधी पाठक इसे ध्यान से पढें व चिंतन करें।

जैसा कि पोस्टर से स्पष्ट है, यह कोई गुमनाम पोस्टर नहीं बल्कि लिखने वाले ने अपना पूरा नाम व पता भी मोबाइल नम्बर सहित साफ़-साफ़ लिखा है। लिखने वाले वकील साहब ने न्यायपालिका में फ़ैलते भ्रष्टाचार के विरुद्ध लम्बी लड़ाई लड़ने के लिये बाकायदा 'न्यायिक सुधार संघर्ष समिति' का गठन किया है।

पोस्टर में हाई कोर्ट के इन्स्पेक्टिंग जज का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वे ज़िला अदालतों के काम-काज का निरीक्षण करने तथा अदालतों से सम्बन्धित आम लोगों की शिकायतें सुनने के लिये यदा-कदा आते तो रहते हैं परन्तु वे आकर क्या करते हैं कोई नहीं जानता हां आम जनता से मिलने से जरूर बचते हैं।

इस सच्चाई का कटु अनुभव इस संवाददाता को व्यक्तिगत रूप से है। बात उस वक्त की है जब फ़रीदाबाद के सैशन जज एलएन मित्तल हुआ करते थे और पदोन्नत होकर हाई कोर्ट जाने वाले थे। उस वक्त के इन्स्पेक्टिंग जज आदर्श कुमार गोयल यहां निरीक्षण पर आये थे। उनसे मिलने के लिये इस संवाददाता को दिन भर सर्किट हाउस में बैठे रहना पड़ा। उनके स्टाफ़ द्वारा कहा गया कि पहले वकील साहेबान मिलेंगे, फ़िर कहा गया कि अब स्थानीय जज साहेबान मिलेंगे। शाम को यह कह दिया गया कि अब तो समय समाप्त हो गया। लेकिन जब इस संवाददाता ने शोर मचाया तो जज साहब ने खुद ही अन्दर बुला कर पूरी तसल्ली से सुनवाई करी।

उस सुनवाई का तत्कालिक एवं व्यक्तिगत लाभ यह हुआ कि जिन झूठे मुकदमों को विभिन्न जज दबाये बैठे थे और तारीख पर तारीख देने का सिलसिला चला रहे थे वे मात्र 3 माह में निपट गये। परन्तु न्यायिक व्यवस्था की दीर्घकालिक कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

जानकारों के मुताबिक उपरोक्त पोस्टर कोर्ट परिसर में पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। इसके बावजूद सारी न्यायपालिका चुप्पी साधे है। पोस्टर में लगाये गये तमाम आरोप बहुत ही गम्भीर एवं जजों की साख, निष्ठा एवं ईमानदारी पर सीधा हमला हैं। जो न्यायपालिका बात-बात पर अवमानना का डंडा दिखा कर अपने खिलाफ़ उठने वाली हर आवाज को दबा देती है, इस पोस्टर को लेकर खामोश क्यों है? क्यों नहीं लगाये गये आरोपों की जांच कराई जाती? यदि आरोप सही हैं तो आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये और यदि आरोप झूठे व मनगढंत हैं तो आरोप लगाने वाले को पूछा जाना चाहिये।

कोर्ट में दलाल बन बैठे हैं जजों के ठेकेदार!

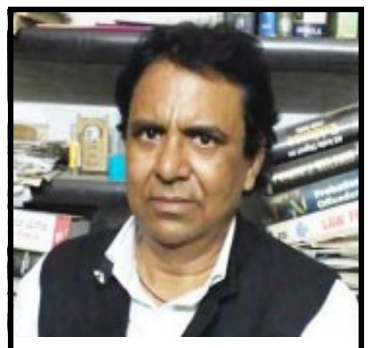

एल. एन. पाराशर एडवोकेट : आवाज बुलन्द

* इस समय कोर्ट में दलालों की मौज आ गई है क्योंकि कुछ जज अपना ईमान बेच रहे हैं जिसका सौदा दलालों के द्वारा हो रहा है।
* अग्रिम जमानत के एक केस में बगैर नोटिस के अरेस्ट स्टे कर दिया गया, नोटिस वाले दिन तक नोटिस भी नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता के वकील द्वारा शोर मचाने पर सुबह 10 बजे नोटिस पुलिस को दिया गया जबकि कानूनन ऐसा नहीं होता।
* अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो बेगुनाही के साक्ष्य होने पर एवं पुलिस को नोटिस होने के बाद भी उसी न्यायालय से अरेस्ट स्टे नहीं मिलता। सबूत के तौर पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। वहीं इसी मामले में नामजद व्यक्ति ने पहले से ही उस महिला को अपनी पत्नी बताते हुए सेक्शन 9 के तहत अपनी पत्नी को लाने का केस कोर्ट में डाल रखा था।
* एक मामले में एक सीनियर महिला वकील ने कोर्ट में रिर्टन में बहस की और रुलिंग जमा कराई इसके बावजूद भी जज के आदेश में इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं था।
* एफ़आईआर दर्ज करने का जो काम पुलिस फ्री में कर देती है, कोर्ट में वही काम वकील को फ़ीस देकर 156 (3) में दलालों को रिश्वत दिए बगैर भी नहीं होता।
* हालात यह हो चुके हैं कि अगर आप कंपनी मालिक हैं और धनवान हैं तो आप लोवर कोर्ट सेशन कोर्ट तक न्याय व्यवस्था को खरीद कर मुकदमें को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ऐसे कई मामलों के सबूत मेरे पास हैं।
* न्याय व्यवस्था की स्थिति यह हो चुकी है कि एक दलाल कोर्ट में खुलेआम कह रहा है कि जज साहब की मेहरबानी से मर्डर के केस के मुल्जिम गारंटी के साथ जल्द ही बरी हो जायेंगे।
* कहने को तो हाईकोर्ट से इन्सपेक्टिंग जज आने पर उनसे कोई भी आम आदमी मिल सकता है लेकिन सच्चाई यह है कि आम लोगों एवं वकीलों को भी जज साहब से नहीं मिलने दिया जाता। जिसके सबूत भी मेरे पास हैं।

निवेदक
एल. एन. पाराशर एडवोकेट, पूर्व प्रधान ज़िला बार एसोसिएशन एवं अध्यक्ष न्यायिक सुधार संघर्ष समिति
मुख्य कार्यालय:चेम्बर नंबर 382, ज़िला कोर्ट . फरीदाबाद (हरियाणा), मो.:9818379315

ADVOCATE

मेनका गांधी का कुत्ता प्रेम-जनता पर पड़ रहा भारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अरसे से बाकायदा एक संगठन बना कर आवारा कुत्तों को फलने फूलने का ठेका उठा रखा है। इस संगठन (पीप्ल्स फ़ॉर एनिमल) के माध्यम से होने वाली मोटी लूट कमाई के लालच में शहर दर शहर संगठन की ब्रांचें खुल गयी हैं। कुत्ते या अन्य किसी पशु-पक्षी को मारने अथवा उस पर क्रूरता करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी से ये लोग अच्छी खासी लूट मचाये हुए हैं।

जो नगर पालिकायें अथवा निगम पहले अपना दायित्व समझ कर आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया करते थे, अब 'मेनका कानून' की आड़ में हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इतना ही नहीं कुत्तों के बधियाकरण यानी दूसरे शब्दों में उनके परिवार नियोजन के ड्रामे के नाम पर अच्छा-खासा बजट भी हजम कर रहे हैं। दूसरी ओर कुत्तों की जनसंख्या दिन दूणी-रात चौगुणी बढती जा रही है। इसका खामियाजा उन ग़रीबों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हे ये कुत्ते काट खाते हैं।

स्थानीय खेल परिसर में, 23 अप्रैल को एक फुटबॉल कोच को कुत्ते ने उस वक्त काट खाया जब वे बाथरूम गये। उसी दिन 2 खिलाड़ियों को भी उसी कुत्ते ने काट खाया। नगर निगम को शिकायत की गयी। लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अगले दिन इसी परिसर में काम करने वाले शमशेर नामक एक मज़दूर को भी उसी कुत्ते ने काट खाया। अब तो हद ही हो गयी। इस बार नाकारा नगर निगम के चक्कर में पड़ने के बजाय खिलाड़ियों व मज़दूरों ने लठ उठाये और उस कुत्ते को घेर कर पीट-पीट कर मार दिया।

खबर लिखे जाने तक मेनका गांधी का कोई एजेंट उस कुत्ते की वकालत करने नहीं पहुंचा। किसी के पहुंचने की संभावना भी नहीं दिखती। दरअसल इन कुत्तों का इलाज भी यही है जो जनता को स्वयं करना पड़ेगा। लाठियों द्वारा किया गया यह इलाज कठिन होने के साथ-साथ क्रूर भी है। इस से बेहतर तो वही इलाज है जो पहले नगर पालिकायें करती आई हैं। अपनी व अपने बच्चों को कुत्तों से बचाने के लिये तमाम नागरिक संगठनों को अपने स्तर पर उसी उपाय का सहारा लेना अब अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।

दूसरी ओर कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद उक्त चारों लोग बारी-बारी से बीके अस्पताल गये। वहां घंटों बैठ कर आ गये किसी ने पट्टी तक नहीं बांधी, इंजेक्शन तो दूर की बात है। वैसे रैबीज़ के इंजेक्शन खट्टर सरकार के इस अस्पताल में कभी होते भी नहीं हैं। खट्टर साहब इन्हें यहां भेजते ही नहीं या सीएमओ गुलशन अरोड़ा इन्हें बेच खाते हैं, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। ऐसे में मजबूरन प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाकर 400 रुपये का एक टीका लगवाना पड़ता है और चार टीकों के 1600 रुपये की चपत लग जाती है। औसतन 40 से 50 लोग फ़रीदाबाद में प्रति दिन कुत्ते काटे के शिकार होते हैं। जाहिर है इससे रैबीज़ के टीके बनाने वाले कम्पनी का मुनाफ़ा काफ़ी बढ रहा है। ऐसे में लगता है कि कहीं मेनका गांधी ने टीका बनाने वाली कम्पनियों से तो सांठ-गांठ नहीं कर रखी है?

कुत्तों और बदरों से परेशान एम्स के डॉक्टरों की एसोसिएशन ने मेनका को एक पत्र लिख कर इस परेशानी से छुटकारा पाने का उपाय पूछा तो मैडम ने तुरन्त पलट कर जवाब दिया कि वे एम्स परिसर में खाने की चीज़ों को इधर-उधर फ़ेकना बंद करें। इसके लिये वे लाउड स्पीकर से पूरे परिसर में मुनादी करायें ताकि तीमारदार खाना न फ़ेंके।

कितना विचित्र जवाब है। दरअसल मेनका जैसे खाये-पीये, अघाये लोग़ों के पास ऐसे ही जवाब होते हैं।

पेट्रोल डीजल के भाव 70 वर्ष में सबसे ज्यादा

छह माह पहले पेट्रोल का भाव : 75.68 (मुंबई)
आज पेट्रोल का भाव : 82.84 (मुंबई)
अंतर : पेट्रोल के भाव 7 रु 16 पैसे बढ़े
छह माह पहले डीज़ल का भाव : 59.64(मुंबई)
आज डीज़ल का भाव : 70.45 (मुंबई)
अंतर : डीज़ल के भाव 10 रु 81 पैसे बढ़े
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड के भाव, मई 2014 कमजोर प्रधानमंत्री के वक्त 109.68। मार्च 2018 मजबूत प्रधानमंत्री के वक्त : 66। अंतर : 43.68 डॉलर कम।
भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले पिछले तीन माह में धड़ाम से नीचे। भारतीय रुपया 7 जनवरी 18 : 63.24,
भारतीय रुपया 23 अप्रैल 18 : 66.48। अंतर : भारतीय रुपया 3 रू 24 पैसे टूटा।
जनता की गाढ़ी कमाई मोदी और शाह मिलकर लूट रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, 1000 के नोट बन्द कर 2000 के नोट प्रारंभ करने का कोतुक रचने वाली जोड़ी 2000 के नोटों की कालाखोरी से खाली पड़े एटीएम के बावजूद भ्रष्टाचार ख़तम करने का दावा कर रही है ।